


12.02.25

पत्रावली पेश हुई। बार से घ डाय कदालती कार्पवाही
के भाग नहीं लिया गया है। वकील अपपक्ष की वध
पर मनन करने पत्रावली का इन्फोर्मेशन करने पर कमीलेंट
से कमीलेंट स्वीकार प्रोग्राम होने के कारण स्वीकार की
इन्तजार सं. 146 दिनांक 20.04.17 के निरस्त किया जाता
है। प्रकाशक तदधीनस्थ शकल को इस निर्देश के साथ
रिमांडु किया जाता है कि वह पक्षकार्य को पुनर्वाही
का लक्षित इच्छा उपन का निर्णय करें। किरचुट निर्णय
गुपक के लिखापत्र जकार संलग्न किया गया। पत्रावली
बाद तदधीनस्थ तदधीनस्थ शकल यामिल यद्वर है।

निर्णय लिखापत्र जकार तुले न्यायालय में
पुनर्वाही गया।


(दीपक चन्दन)
RAS